न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/117** दायर दिनांक **05.05.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. चूनाराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी खरेश तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मोतीराम पुत्र स्व0 भंवरलाल 2. रामदेवाराम पुत्र स्व0 भंवरलाल 3. हजारीराम पुत्र स्व0 भंवरलाल 4. मदनलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल 5. मूलीदेवी पुत्री स्व0 भंवरलाल 6. भूरीदेवी पत्नी स्व0 भंवरलाल 7. सोहनलाल पुत्र स्व0 रामकरण 8. शान्तिदेवी पुत्री स्व0 रामकरण 9. लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व0 रामकरण 10. केसरदेवी पत्नी स्व0 रामकरण 11. मुकेश पुत्र स्व0 शंकरलाल 12. सरदार पुत्र स्व0 शंकरलाल 13. मायादेवी पत्नी स्व0 शंकरलाल 14. मनोहरदेवी पुत्री स्व0 शंकरलाल 15. सरोजदेवी पुत्री स्व0 शंकरलाल 16. सुनीतादेवी पुत्री स्व0 शंकरलाल 17. गुलाबीदेवी पुत्री स्व0 घीसाराम 18. गणपतराम पुत्र स्व0 जेठाराम 19. बनाराम पुत्र स्व0 जेठाराम 20. रामपाल पुत्र स्व0 जेठाराम 21. गोपाल पुत्र स्व0 जेठाराम 22. कैला पुत्री स्व0 जेठाराम 23. राजु पुत्री स्व0 जेठाराम 24. सुगनीदेवी पत्नी स्व0 जेठाराम 25. भागीरथराम पुत्र स्व0 हनुमानराम 26. नोजादेवी पुत्री स्व0 हनुमानराम 27. सोहनीदेवी पुत्री स्व0 हनुमानराम 28. प्रभूराम पुत्र स्व0 मोहनाराम 29. चेनाराम पुत्र स्व0 मोहनाराम 30. राधाकिशन पुत्र स्व0 मोहनाराम समस्त जाति राजपूत निवासीगण खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 31. नाथुराम पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल निवासी मण्डूकरा तहसील डीडवाना 32. भारतीय स्टेट बैंक शाखा डीडवाना 33. तहसीलदार डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

न्यायालय सहायक कलक्टर * डीडवाना *
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/117
दायर दिनांक 05.05.2017, निर्णय दिनांक 10.07.2017
चुनाराम बनाम मोतीराम वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

–:: निर्णय ::–

दिनांक 10.07.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके सरहद खरेश में स्थित खसरा सं0 223 रकबा 66 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादी सं0 01 से 31 की संयुक्त खातेदारी का है। उक्त खसरा नम्बर में प्रतिवादी सं0 01 से 06 के पिता/पति स्व0 भंवरलाल का सम्पूर्ण भूमि में 1/4 (16 बीघा 14 बिस्वा) हक हिस्सा अधिकार व कब्जा था। जिसमें से स्व0 भंवरलाल ने एक बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 31 नाथुराम को बचान कर दी तथा अपने हक हिस्से की शेष रही भूमि 15 बीघा 14 बिस्वा का बैचाण वादी को दिनांक 19.11.2007 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से कर दिया तथा उक्त खेत में अपने हक हिस्से व अधिकार की शेष भूमि 15 बीघा 14 बिस्वा जिस पर स्व0 भंवरलाल काबिज था। इस भूमि पर वादी ने वास्तविक व भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया। वादी द्वारा उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों की गलती व भूल से उक्त खेत खसरा सं0 223 की खातेदारी में खातेदार भंवरलाल की जगह वादी का नाम सहवन से अंकित नहीं हो सक तथा तत्पश्चात उक्त खातेदार स्व0 भंवरलाल का स्वर्गवास हो जाने से स्व0 भंवरलाल का फौतगी म्यूटेशन उसके वारिसान प्रतिवादी सं0 01 से 06 तक का नाम दर्ज हो गया। जिसकी जानकारी पहले वादी को कभी भी ना होकर हाल के दिनों में हुई है। रजिस्ट्रड विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश है। उक्त खसरा भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं0 07 से 31 तक अलग अलग रूप से अपने हक हिस्सेनुसार काबिज है। अब वादी की और से प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त खेत की खातेदारी में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने व प्रतिवादी सं0 01 से 06 तक का नाम उक्त संयुक्त खातेदारी में से हटवाये जाने हेतु यह वाद पत्र वास्ते घोषणा, रेकर्ड दुरुस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

मौजा खरेश में स्थित खसरा सं0 223 रकबा 66 बीघा 16 बिस्वा भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से तथा इस खेत में से खातेदार स्व0 भंवरलाल द्वारा अपने हक हिस्से व अधिकार व कब्जे की सम्पूर्ण खसरा की 1/4 भाग भूमि अर्थात 16 बीघा 14 बिस्वा में से 01 बीघा भूमि का बेचान प्रतिवादी सं0 31 को करने से तथा शेष भूमि 15 बीघा 14 बिस्वा का रजिस्ट्रड बेचान वादी को करके उक्त हक हिस्से व अधिकार की कब्जा सुदा भूमि का कब्जा अपने जीवनकाल में बेचान के समय वादी को सुपुर्द करने तथा स्व0 भंवरलाल का फौतगी म्यूटेशन गलत रूप से प्रतिवादी सं0 01 से 06 तक के नाम आ जाने से तथा उक्त गलत फौतगी म्यूटेशन के मध्यनजर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उक्त जायगा से बेदखल करके उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान करने की कुचेष्ठा से निरन्तर वाद कारण अदालत हाजा उत्पन्न हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद खरेश के खसरा सं0 223 रकबा 66 बीघा 16 बिस्वा में से प्रतिवादी सं0 01 ता 06 का नाम खातेदारी से हटाया जाकर उसकी जगह वादी के नाम की रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के अनुसार 15 बीघा 14 बिस्वा अनुसार घोषणा की जाकर तदनुसार व अन्य प्रतिवादी सं0 07 से 31 से उक्त भूमि का कब्जानुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा

न्यायालय सहायक कलक्टर * डीडवाना *

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017 / 117
दायर दिनांक 05.05.2017, निर्णय दिनांक 10.07.2017
चुनाराम बनाम मोतीराम वगैरा।

फरमाया जाकर रेकर्ड में दुरूस्ती कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण का तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 01 ता 33 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रकरण आज राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खरेश में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी की उक्त जायगा जरिये रजिस्ट्री खरीद शुदा है जिसका नामान्तरकरण वादी के नाम नहीं होकर स्व0 भंवरलाल के वारिसों के नाम से दर्ज हो चुका है। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए तथा किसी भी पक्षकार द्वारा उक्त वाद में आपत्ति पेश नहीं की है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद ग्राम खरेश के खसरा सं0 223 रकबा 66 बीघा 16 बिस्वा में स्व0 भंवरलाल के वारिसों के स्थान पर वादी चुनाराम के नाम घोषित कर वादी को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा स्व0 भंवरलाल के वारिसों का नाम हटाया जाता है। चूंकि स्व0 भंवरलाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया है अतः वाके सरहद खरेश के खसरा सं0 223 में स्व0 भंवरलाल का हिस्सा बैंक के नाम रहन होने के कारण बैंक का नाम हटाया जाकर उक्त खसरे को रहन मुक्त किया जाता है तथा वाके सरहद खरेश के खसरा सं0 223 के स्थान पर भंवरलाल के नाम अन्य खसरा वाके सरहद खरेश के खसरा सं0 205, 206 बैंक के नाम रहन रखे जाते है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **10.07.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प खरेश में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी मुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
आज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/117 दायर दिनांक 05.05.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. चुनाराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी खरेश तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मोतीराम पुत्र स्व0 भंवरलाल वगैरा समस्त जाति बावरी निवासीगण खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 10.07.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादीपक्ष की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, खरेश के खसरा सं0 223 रकबा 66 बीघा 16 बिस्वा में स्व0 भंवरलाल के वारिसों के स्थान पर वादी चुनाराम के नाम घोषित कर वादी को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा स्व0 भंवरलाल के वारिसों का नाम हटाया जाता है। चूंकि स्व0 भंवरलाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया है अतः वाके सरहद खरेश के खसरा सं0 223 में स्व0 भंवरलाल का हिस्सा बैंक के नाम रहन होने के कारण बैंक का नाम हटाया जाकर उक्त खसरे को रहन मुक्त किया जाता है तथा वाके सरहद खरेश के खसरा सं0 223 के स्थान पर भंवरलाल के नाम अन्य खसरा वाके सरहद खरेश के खसरा सं0 205, 206 बैंक के नाम रहन रखे जाते है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 10.07.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट खरेश में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner